

मुख्य बातें

लेखापरीक्षा ने (i) खेल संघों और खेल व्यक्तित्व को दी गई छूटों की यथार्थता (ii) सभी खेल संघों/ संस्थानों और खेल व्यक्तित्व को कर दायरे में लाने के लिए विभाग के प्रयासों की पर्याप्तता, (iii) किये गये निर्धारणों में अनियमितताओं और गलतियों, कर के अपवंचन और छूटों के दुरुपयोग के परिहार के लिए विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र की प्रभावकारिता, (iv) खेल व्यक्तियों को किये गये भुगतानों के संबंध में टी डी एस प्रावधानों का अनुपालन, को अभिनिश्चित करने के मद्देनजर खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों के निर्धारणों की समीक्षा की।

(पैरा 3.3)

लेखापरीक्षा द्वारा माँगे गये 2696 मामलों में से 1050 मामले प्रस्तुत किये गये थे। इन 1050 मामलों में से 514 विविध श्रेणी से संबंधित थे जबकि 245 मामले क्रिकेट से संबंधित थे। किसी अन्य अलग खेल से संबंधित प्रस्तुत किये गये मामलों की संख्या 75 से कम थी। इसके अतिरिक्त, समीक्षा के दौरान नोटिस किये गये 158 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 47.47%, 33.55%, 4.44% और 3.80% क्रमशः विविध, श्रेणी, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी से संबंधित थे। तथापि, प्रतिशतता के अनुसार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के धन मूल्य क्रिकेट, विविध श्रेणी और टेनिस से संबंधित निर्धारणों में क्रमशः 66.78, 31.86, 0.42 थे।

(पैरा 3.7)

लेखापरीक्षा ने देखा

- चार मामले जिनमें 8.26 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था, में निर्धारितियों के विषय में अनुमोदन/अधिसूचना के न होने के कारण गलत छूट का दिया जाना।

(पैरा 3.8.2)

- सात मामले जिनमें 20.83 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था में विशिष्ट तरीकों में न की गई संचित आय/निवेश के निवेश न करने के कारण अनियमित छूट का दिया जाना।

(पैरा 3.12.2)

- आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु और पाँडीचेरी प्रभागों में खेल व्यक्तित्वों को किये गये भुगतानों से स्रोत पर 5.41 करोड़ रुपये की राशि के कर की कटौती नहीं की गई।

(पैरा 3.17.2)

- अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने की गलती के परिणामस्वरूप एक मामले में 4.57 करोड़ रुपये तक कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैरा 3.19.2)

- 10 मामलों में विवरणियों के दाखिल न करने के परिणामस्वरूप 19.56 करोड़ रुपये की राशि के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(पैरा 3.20.2)

- विभाग के असंगत निर्णयों के परिणामस्वरूप 60.30 करोड़ रुपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 148.07 करोड़ रुपये का अनभिप्रेत लाभ हुआ।

(पैरा 3.21.4)

- 3273 खेल संघ और क्लब विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अनुदान प्राप्त कर रहे थे अथवा विभिन्न राज्यों में विभिन्न संघों से सम्बद्ध थे, जिनकी जाँच करने की और विभाग के कर दायरे के अन्तर्गत लाये जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.22.2)

- निवेश के वर्ष वार ब्यौरे की जाँच करने, अनुबद्ध अवधि के अन्दर विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इसके आहरण और उपयोग, और यदि आय/संचित आय को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है जिसके लिए संघों/संस्थान को स्थापित किया गया था की जाँच करने के संबंध में कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षा और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली।

(पैरा 3.23)

- सात मामलों में विदेशी राज्य की सरकार से आय के बारे में खेल व्यक्तियों को गलत कटौतियों की अनुमति दी गई जबकि आय का खिलाड़ी की क्षमता में अर्जन नहीं किया गया था जिसमें 4.51 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 3.24.2)

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि

- विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र को निवेश के वर्षवार ब्यौरों, अनुबद्ध अवधि के अन्दर विशिष्ट प्रयोजन के लिए इसके उपयोग की जाँच करने, और यदि आय/संचित आय को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए संघों/संस्थानों को स्थापित किया गया था, की जाँच करने के लिए सुदृढ़ किया जाए।

(पैरा 3.32.7)

- सरकार खेल संघों/संस्थानों/क्लबों और खेल व्यक्तित्वों को दी गई छूटों के दुरुपयोग को न्यूनतम करने के लिए संभाव्य मामलों पर केन्द्रित करने के लिए इसके ए एस टी डॉटाबेस का उपयोग कर सकती है।

(पैरा 3.32.8)

- सरकार किये गये निर्धारणों में अनियमितताओं और गलतियों, कर अपवंचन और छूटों के दुरुपयोग के परिहार के लिए अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ कर सकती है।

(पैरा 3.32.9)

खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों के निर्धारण पर समीक्षा

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 भारत में खेल के मानक को उन्नत करने और सुधार करने के मद्देनजर, भारत में स्थापित एक संघ या संस्थान की और खेलों या क्रीडाओं के उन्नयन में लगी आय को कतिपय शर्तों के पूरा करने के अध्वधीन आय कर के उद्ग्रहण से छूट दी गई है। खेलों और क्रीडाओं के उन्नयन को आय कर अधिनियम* की धारा 2(15) के अर्थ के अन्दर धर्मार्थ प्रयोजन के रूप में माना गया है। तदनुसार, खेलों या क्रीडाओं के उन्नयन में लगा एक संघ या संस्थान धारा 11 के अन्तर्गत छूट का दावा कर सकता है।

3.1.2 खेल व्यक्तित्वों का निर्धारण सामान्यतः उनकी स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खेल वाले व्यक्ति खेलों और क्रीडाओं से अर्जित आय के संबंध में विशिष्ट कटौतियों और छूटों⁺ को लेने का हकदार है।

3.1.3 आय कर विभाग (विभाग) को आय कर अधिनियम (अधिनियम) के प्रचालनों के माध्यम से सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि मात्र असली और पात्र खेल संस्थानों/संघों एवं खेल व्यक्तित्वों की आय को आयकर के उद्ग्रहण से छूट दी जाती है और कर की सही राशि का भुगतान संस्थानों/संघों और खेल व्यक्तित्वों द्वारा किया जाता है।

3.2. विधि और क्रियाविधि

3.2.1 1 अप्रैल 2003 से वित्त अधिनियम, 2002 के अनुसार इसके त्याग से पूर्व अधिनियम की धारा 10 (23) में अन्य बातों के साथ-साथ भारत में स्थापित एक संघ या संस्थान की किसी आय के बारे में छूट से संबंधित थी जिसे इस तथ्य के संबंध में सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है कि क्रिकेट, हाकी, फुट बाल, टेनिस या ऐसी अन्य क्रीडा या खेल जैसा कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में इस संबंध में उल्लेख करे के नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन अथवा खेलों के भारत में प्रोत्साहन के इसके उद्देश्य के रूप में संघ अथवा संस्थान के पास है, इस बारे में उल्लेख करें बशर्ते कि:

- संघ या संस्थान छूट के प्रदान करने या उनके बनाये रखने के प्रयोजन के लिए महानिदेशक (आय कर छूट) को फॉर्म सं. 55 में एक आवेदन पत्र भेजता है;
- संघ या संस्थान अपनी आय का उपयोग या उपयोग के लिए इसका संचय, पूर्ण रूप से और एक मात्र रूप से उस उद्देश्य के लिए करता है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई

* केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) परिपत्र सं. 395 दिनांक 24 सितम्बर, 1984

⁺ इनामों के संबंध में जैसा सार्वजनिक हित में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय।

है और धारा 11 की उप धारा (2) और उप धारा (3) के प्रावधानों को ऐसे संचयन के संबंध में लागू किया जायेगा;

- संघ या संस्थान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट फार्मों या तरीकों के किसी एक या अधिक की अपेक्षा अन्यथा पूर्व वर्ष के दौरान अपनी निधियों को जमा नहीं करता;
- संघ या संस्थान इससे सम्बद्ध किसी संघ या संस्थान को अनुदान को छोड़कर अपने सदस्यों को किसी रूप में अपनी आय का कोई भाग वितरित नहीं करता;
- संघ या संस्थान भारत में क्रीडाओं और खेलों के लिए अथवा भारत में क्रीडाओं और खेलों के प्रायोजित करने के लिए अवसंरचना के विकास के प्रयोजन के लिए धारा 80 जी की उप धारा (2) के खण्ड (ग) में सन्दर्भित दानों के रूप में प्राप्त हुई राशि का उपयोग करता है।

3.2.2 अधिनियम की धारा 11 धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित सम्पत्ति से आय की छूट से संबंध रखती है। इसके अतिरिक्त, धारा 2(15) गरीब की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति को शामिल करते हुए 'धर्मार्थ प्रयोजन' को परिभाषित करता है। खेलों और क्रीडाओं के उन्नयन को धारा 2 (15) के अर्थ के अन्दर धर्मार्थ प्रयोजन के रूप में माना गया है और इस प्रकार, खेलों या क्रीडाओं के उन्नयन में लगा एक संघ या संस्थान धारा 11 के अन्तर्गत छूट का दावा कर सकता है चाहे इसे धारा 10 (23*) के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है।

3.2.3 धारा 11 के अन्तर्गत छूट का दावा करने के लिए नीचे दी गई तालिका में चर्चा के अनुसार शर्तों का पालन किया जाना है:

अधिनियम की धारा	निर्धारित शर्तें
11	<p>न्यास/संस्थान धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए होना चाहिए।</p> <p>सम्पत्ति जिससे आय व्युत्पन्न की गई है को ऐसे धर्मार्थ या धार्मिक न्यास/संस्थान द्वारा न्यास के अन्तर्गत धारित होना चाहिए।</p> <p>न्यास को निर्धारित समय के अन्दर आय कर आयुक्त के पास स्वयम् पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>जहाँ 'न्यास के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति' में कारबार आश्वासन, ऐसे कारबार से अर्जित लाभों या अभिलाभों को शामिल किया जाता है वहाँ इन्हें धारा 11 के अन्तर्गत तब तक छूट नहीं दी जायेगी जब तक कि कारबार न्यास/संस्थान के उद्देश्यों के लाभ के लिए आनुषंगिक है और पृथक खातों के लेखा का रखरखाव ऐसे कारबार के संबंध में ऐसे न्यास या संस्थान द्वारा किया गया है।</p>

* बोर्ड का परिपत्र संख्या 395, तारीख 24 सितम्बर 1984

<p>11 (1)</p>	<p>निम्नलिखित आय को आय की प्राप्ति में व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा--</p> <ul style="list-style-type: none"> ● उस सीमा तक आय जिस तक ऐसी आय भारत में धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग की गई है; और ● न्यास/संस्थान द्वारा भारत में संचित या ऐसे प्रयोजनों के उपयोग के लिए अलग रखी आय ऐसी सम्पत्ति (निर्धारण 2002-03 तक 25 प्रतिशत) से आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ● विशिष्ट निर्देश कि वे न्यास या संस्थान के संग्रह के भाग होंगे, के साथ किये गये स्वैच्छिक अंशदानों के रूप में आय।
<p>11 (2)</p>	<p>जहाँ आय का 85 प्रतिशत (निर्धारण वर्ष 2002-03 तक आय का 75 प्रतिशत) पिछले वर्ष के दौरान भारत में धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन भारत में ऐसे प्रयोजनों के उपयोग के लिए या तो पूर्ण रूप में या भाग के रूप में संचित या अलग रखी हुई है, वहाँ ऐसी आय जिसे संचित या अलग रखी हुई है को व्यक्ति के पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा; बशर्ते कि:</p> <p>(क) ऐसा व्यक्ति निर्धारित रीति में निर्धारण अधिकारी को लिखित में नोटिस द्वारा वह प्रयोजन जिसके लिए आय को संचित किया गया या अलग रखा गया है और वह अवधि जिसके लिए आय को संचित करना है या अलग रखा जाना है जो किसी भी मामले में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी (31 मार्च 2001 तक दस वर्ष) का उल्लेख करता है, और</p> <p>(ख) धन जो इस प्रकार संचित किया गया या अलग रखा गया है को धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट फार्मों या तरीकों में निवेशित या जमा किया है।</p>
<p>11 (5)</p>	<p>संचित या अलग रखी हुई निधियों को विशिष्ट फार्मों और तरीकों जैसे सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959, के अन्तर्गत यथा परिभाषित बचत प्रमाण-पत्रों, सरकार की लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत जारी किसी अन्य प्रतिभूतियों या प्रमाण-पत्रों, डाक घर अनुसूचित बैंकों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिटों, सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों में जमा आदि जैसे तरीकों में निवेश या जमा किया जायेगा।</p>
<p>12 ए (ए)</p>	<p>आय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ने निर्धारित फार्म में और निर्धारित ढंग से न्यास या संस्थान के पंजीकरण के लिए न्यास/संस्थान के सृजन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व आयुक्त को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।</p>
<p>12 (ए) (बी)</p>	<p>जहाँ धारा 11 और धारा 12 के प्रावधानों को लागू किये बिना यथा संगणित न्यास अथवा संस्थान की कुल आय किसी पूर्व वर्ष में पचास</p>

	हजार रूपये से अधिक हो जाती है तो वहाँ उस वर्ष के लिए न्यास या संस्थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई है और आय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति आय की विवरणी के साथ निर्धारित फार्म में ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भी प्रस्तुत करेगा।
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.4 धारा 80 आर आर के अन्तर्गत, जहाँ एक लेखक, नाटककार, आर्टिस्ट, वाद्यकर, अभिनेता या खिलाड़ी (एक अथलिट सहित) होने के नाते भारत में एक निवासी व्यक्ति की सकल कुल आय में विदेशी सरकार से उसकी वृत्ति के उपयोग में उसके द्वारा व्युत्पन्न किसी आय को शामिल किया जाता है वहाँ व्यक्ति की कुल आय की संगणना में निम्न के बराबर की राशि की ऐसी आय से कटौती अनुमत होगी--

निर्धारण वर्ष	भारत में लाई गई आय की प्रतिशतता के रूप में कटौती
2001-02	60
2002-03	45
2003-04	30
2004-05	15
2005-06	कोई कटौती नहीं
और आगामी निर्धारण वर्ष	

3.2.5 धारा 80 आर आर के अन्तर्गत कोई कटौती तब तक अनुमत नहीं की जायेगी जब तक निर्धारित आय की विवरणी के साथ निर्धारित फार्म में यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि कटौती का दावा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार सही रूप से किया गया।

3.3 समीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को सत्यापित करने के मद्देनजर खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों के निर्धारणों की समीक्षा की:

- खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों को दी गई छूटों की यथार्थता और राजस्व की हानि या करयोग्य आय के अवनिर्धारण और निर्धारणों में गलतियों के कारण अन्य अनियमितताओं की सीमा निर्धारित करने।
- सभी खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों को कर दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा क्या पर्याप्त कार्रवाई की गई है।
- किये गये निर्धारणों में अनियमितताओं और गलतियों, कर के अपवंचन और छूटों के दुरुपयोग के परिहार के लिए पर्याप्त एवं आवश्यक जाँच करने के लिए क्या विभाग के अन्दर कोई आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र विद्यमान है।

- खेल के जीतने पर खेल व्यक्तियों को किये गये भुगतानों से, विदेशी कोचों आदि के भुगतान से क्या टी डी एस की सही रूप से कटौती की गई है।

3.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

3.4.1 खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों के डॉटाबेस को विभिन्न स्तों से तैयार किया गया था जैसे:

- डी जी आई टी के अभिलेख (छूट)
- विभाग द्वारा खेल संघों/संस्थानों/निकायों, को कर दायरे में लाने के बारे में सर्वेक्षण प्रचालनों और केन्द्रीय सूचना शाखा से संबंधित अभिलेख
- वार्डों/सर्किलों के माँग एवं संग्रहण रजिस्टर
- खेल मंत्रालय/खेल विभाग
- भारतीय खेल प्राधिकरण
- संबंधित राज्यों/क्षेत्रीय खेल निदेशालय के खेल विकास प्राधिकरण
- खेल संघों के शिखर निकाय
- सोसाइटी के रजिस्टर
- अखबार, किताबें एवं प्रकाशन आदि
- इन्टरनेट
- दूरभाष निर्देशिका और
- कोई अन्य स्रोत जैसा उपयुक्त माना गया।

3.4.2 इस प्रकार पहचान किये गये खेल संघों/संस्थानों, खेल व्यक्तित्वों आदि के नाम और पते निर्धारण वार्डों/सर्किलों जहाँ उनके निर्धारण किए जा रहे थे और क्या वे आयकर विवरणी दाखिल कर रहे थे अथवा नहीं को अभिनिश्चित करने के लिए मु आ क आ/आ क आ को भेजे गए थे।

3.4.3 उपर्युक्त से इकट्ठी की गई सूचना से और निर्धारितियों के पतों से भी निर्धारण वार्डों/सर्किलों जहाँ इन खेल संघों/संस्थानों/खेल व्यक्तित्वों का निर्धारण किया जा सकता था की पहचान की गई थी।

3.4.4 समीक्षा दल ने निर्धारण वार्डों/सर्किलों का निरीक्षण किया और लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये निर्धारण अभिलेखों के बारे में आवश्यक लेखापरीक्षा जाँच की गई।

3.4.5 अभ्युक्तियों वाली ड्राफ्ट समीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपियों को जुलाई 2006 से अगस्त 2006 तक की अवधि के दौरान महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा/प्रधान

महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त/महानिदेशक आयकर (जाँच पड़ताल) को जारी की गई थी।

3.4.6 एक समेकित ड्राफ्ट समीक्षा रिपोर्ट नवम्बर 2006 में उनकी टिप्पणियों के लिए मंत्रालय/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) को जारी की गई थी। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय और बोर्ड के मध्य इस समीक्षा के लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा करने के लिए एक समापन सम्मेलन जनवरी 2007 में आयोजित किया गया था।

3.5 शामिल अवधि

समीक्षा में 1999-2000 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान पूरे किए और वे जो लेखापरीक्षा की तारीख तक पूरे किए गए खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों के निर्धारणों को शामिल किया गया है।

3.6 नमूना आकार

3.6.1 सभी खेल संघों/संस्थानों जिनकी विवरणी का पता लगाया जा सका के निर्धारणों को समीक्षा के लिए चयन किया गया था, क्या इन्हें संक्षिप्त रीति में या संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था।

3.6.2 15 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले सभी खेल व्यक्तित्वों का समीक्षा के लिए चयन किया गया था। खेल व्यक्तियों की विवरणियों के अलावा, खेल टीकाकार, भूतपूर्व-खेल व्यक्तियों, खेल संघों/संस्थानों के कार्यालय वाहकों आदि की विवरणियों की जाँच भी यह अभिनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या धारा 80 आर आर के अन्तर्गत छूटों का लाभ अधिनियम में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा अन्य द्वारा उठाया गया था।

3.6.3 लेखापरीक्षा ने तैयार किये गये डाटाबेस⁸ के अनुसार 2,696 मामलों की माँग की जिसमें से अभिलेखों को 1050 मामलों में प्रस्तुत किया गया था। राज्य वार ब्योरा परिशिष्ट - 13 में दिया गया है।

3.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.7.1 लेखापरीक्षा ने आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़ (यू टी), दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब,

⁸ चूँकि डाटाबेस लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न स्रोतों से तैयार किया गया था, क्या सभी मामले जिनकी माँग की गई थी निर्धारणीय थे अथवा करयोग्य आय वाले थे को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 1050 मामलों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने अनियमितताओं के कुल 158 मामलों को पाया जिसमें 190.92 करोड़ रुपये (50.24 करोड़ रुपये की शास्ति सहित) का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। इनमें से अनियमितताओं के 130 मामले जिसमें 179.80 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था, खेल संघों/संस्थानों से संबंधित थे और 28 मामले जिसमें 11.12 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था खेल व्यक्तित्वों के बारे में थे।

3.7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का खेल श्रेणीवार ब्यौरा नीचे तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका 1: लेखापरीक्षा निष्कर्षों का श्रेणीवार ब्यौरा

क्रम सं.	खेल श्रेणी	माँगे गये	प्रस्तुत किये	लेखापरीक्षा निष्कर्ष		प्रस्तुत किये गये मामलों की प्रतिशतता	कुल की प्रतिशतता के रूप में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	कुल की प्रतिशतता के रूप में धन मूल्य
		मामले संख्या	गये मामले संख्या	संख्या	धन मूल्य (लाख रुपये में)			
1	व्यायाम	214	18	1	4.95	8.41	0.63	0.03
2	बॉक्सिंग	34	7	1	0.62	20.59	0.63	0.00
3	क्रिकेट	400	245	53	12750.08	61.25	33.55	66.78
4	चेस	68	36	4	35.02	52.94	2.53	0.18
5	फुटबाल	80	26	4	42.33	32.50	2.53	0.22
6	गोल्फ	75	48	3	74.73	64.00	1.90	0.39
7	कसरत	43	6	0	0	13.95	0.00	0.00
8	हॉकी	149	32	6	6.13	21.48	3.80	0.03
9	जूडो	48	9	1	1.19	18.75	0.63	0.01
10	शूटिंग	28	5	0	0	17.86	0.00	0.00
11	तैरना	18	6	1	0	33.33	0.63	0.00
12	टेनिस	113	66	7	80.4	58.41	4.44	0.42
13	वोलीबाल	43	20	1	4.20	46.51	0.63	0.02
14	भार उठाना	61	11	1	11.12	18.03	0.63	0.06
15	कुश्ती	38	1	0	0	2.63	0.00	0.00
16	अन्य श्रेणी*	1284	514	75	6081.46	40.03	47.47	31.86
	जोड़	2696	1050	158	19092.23	38.95	100	100

* इस श्रेणी में एक क्रीडा से अधिक को शामिल करते हुए खेल बोडी/खेल प्राधिकरणों/खेल परिषदों/क्लबों आदि के मामले शामिल हैं। तालिका में न आने वाली कोई अन्य क्रीडा को भी यहाँ शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये 1050 मामलों में से 514 विविध श्रेणी से संबंधित थे जबकि 245 मामले क्रिकेट से संबंधित थे। किसी अन्य अलग खेल से संबंधित प्रस्तुत मामलों की संख्या 75 से कम थी। समीक्षा के दौरान पाई गई 158 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 47.47% , 33.55% , 4.44% और 3.80% क्रमशः विविध श्रेणी, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी से संबंधित थी। तथापि, प्रतिशतता के अनुसार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का धन मूल्य क्रिकेट, विविध श्रेणी, टेनिस और गोल्फ से संबंधित निर्धारणों में क्रमशः 66.78, 31.86, 0.42 और 0.39 था। इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उल्लेख आगामी पैराग्राफों में किया गया है।

3.7.3 एक करोड़ रुपये से अधिक के धन मूल्य वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा पैराग्राफों में की गई है, जबकि वे जो 50 लाख रुपये और एक करोड़ रुपये के मध्य हैं, का उल्लेख प्रतिवेदन की बोडी में तालिका में किया गया है और वे जो 20 लाख रुपये और 50 लाख रुपये के मध्य हैं को परिशिष्टों में शामिल किया गया है। 20 लाख रुपये से कम धन मूल्य वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, यद्यपि उनके कर प्रभाव को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

3.8 धारा 10 (23) के अन्तर्गत खेल संघ के संबंध में अनुमोदन/अधिसूचना के न होने के कारण अनियमित छूट

3.8.1 1 अप्रैल 2003 से वित्त अधिनियम, 2002 के अनुसार इसके त्याग से पूर्व अधिनियम की धारा 10 (23) अन्य बातों के साथ-साथ भारत में स्थापित खेल संघ या संस्थान की किसी आय के बारे में छूट से संबंधित थी बशर्ते संघ या संस्थान को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और संघ या संस्थान छूट प्रदान करने या इसके जारी रखने के प्रयोजन के लिए महानिदेशक (आय कर छूट) की निर्धारित फार्म में एक आवेदन करता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के परिपत्र संख्या 395 के अनुसार 24 सितम्बर 1984 से खेल या क्रीड़ाओं के प्रोत्साहन में लगे एक संघ/संस्थान धारा 11 के अन्तर्गत छूट का दावा कर सकता है चाहे इस पर धारा 10 (23) के अन्तर्गत छूट नहीं है।

3.8.2 अनुमोदन/अधिसूचना के न होने के कारण अनियमित छूट के परिणामस्वरूप कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल प्रभागों में चार मामलों में 8.26 करोड़ रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इनमें से दो मामलों को नीचे दिया गया है:

3.8.3 पश्चिम बंगाल, डी आई टी (छूट) कोलकाता प्रभाग में, निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक के लिए बंगाल क्रिकेट संघ (सी ए बी) का निर्धारण जुलाई 2002^{*} में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। निर्धारण वर्ष 1979 -80 से 1980-81 और 1982-83 से 1983-84

* निर्धारिती ने इन वर्षों में से किसी के लिए आयकर विवरणियों को दाखिल नहीं किया था। धारा 144 के अन्तर्गत इन वर्षों के निर्धारणों में अपील आदेशों के अनुसरण में पूर्व वर्षों में बहुत से संशोधन हुए और अन्ततोगत्वा जुलाई 2002 में पूरा हुआ था।

से संबंधित निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती को इन वर्षों के लिए धारा 10 (23) के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 11 के अन्तर्गत छूट इन वर्षों के लिए उपलब्ध भी नहीं थी क्योंकि यह मात्र सितम्बर 24, 1984 से प्रभावी था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने धारा 11 (1) और 11 (2) के अन्तर्गत दावा किया था और छूटें अनुमत की गई थीं। इस प्रकार, निर्धारिती को छूट की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 7.29 करोड़ रुपये की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

3.8.4 विभाग ने दिनांक 2 दिसम्बर 2005 के अपने उत्तर में बताया कि 24 सितम्बर 1984 को जारी बोर्ड के परिपत्र सं. 395 के आधार पर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत छूट दी गई थी जिसके द्वारा खेलों और क्रीडाओं के प्रोत्साहन को अधिनियम की धारा 2 (15) के मतलब के अन्दर धर्मार्थ कार्यकलाप के रूप में माना गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा उद्धृत परिपत्र मात्र 24 सितम्बर 1984 को जारी किया गया था जबकि पैरा में उल्लिखित अनियमितता निर्धारण वर्ष 1979-80, 1980-81, 1982-83 और 1983-84 से संबंधित है। परिपत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक इसका स्वयम् परिपत्र में विशिष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो। तथापि, विभाग ने दिसम्बर 2005 में धारा 154 के अन्तर्गत उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की।

3.8.5 दूसरा मामला नीचे तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2: अनुमोदन/अधिसूचना के न होने के कारण अनियमित छूट						
क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/निर्धारण की तारीख	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	विभाग का उत्तर
1	केरल क्रिकेट एसोसिएशन त्रिवेन्द्रम	2002-03	संक्षिप्त 31 अक्टूबर 2002	निर्धारिती को धारा 10(23) के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया था	80.36	निर्धारण पुनः खोला गया।

3.9 धारा 10 (23) के अन्तर्गत अनुमोदन के नवीनीकरण न करने के कारण अनियमित छूट

3.9.1 अधिनियम के अन्तर्गत, धारा 10 (23) के अन्तर्गत छूट के लिए अनुमोदन किसी एक समय तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए प्रभाव डालेगा।

3.9.2 तीन वर्षों की अवधि से अधिक के अनुमोदन के नवीनीकरण न करने के परिणामस्वरूप दिल्ली, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश प्रभागों में तीन मामलों में छूट की अनियमित अनुमति हुई जिसमें 79.65 लाख रुपये के कर का अनुद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था। इनमें से दो मामलों को परिशिष्ट 14 के क्रम संख्या 1 और 2 पर दिया गया है।

3.10 पंजीकरण के बिना छूट का दिया जाना

3.10.1 धारा 11 के प्रावधानों को किसी न्यास या संस्थान की आय के संबंध में तब तक लागू नहीं किया जायेगा जब तक न्यास या संस्थान निर्धारित फार्म में और निर्धारित रीति में न्यास या संस्थान के पंजीकरण के लिए एक आवेदन-पत्र नहीं दिया है।

3.10.2 न्यास या संस्थान के पंजीकरण न होने के कारण अनियमित छूट के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिल नाडु प्रभागों में 13 मामलों में 1.15 करोड़ रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इनमें से एक मामला तालिका 3 में नीचे दिया गया गया है:

तालिका 3: पंजीकरण के बिना छूट का दिया जाना						
क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/निर्धारण की तारीख	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	विभाग का उत्तर
1	केरल क्रिकेट एसोसिएशन त्रिवेन्द्रम	2004-05 2005-06	संक्षिप्त 1 अगस्त 2005	निर्धारिती खेल संघ का धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं किया गया	66.74	निर्धारण पुनः खोला गया

3.11 धारा 10 (23) और धारा 11 के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं की अपेक्षा कम आय के लागू करने के कारण अनियमित छूट

3.11.1 धारा 10 (23) के अन्तर्गत छूट की तभी अनुमति दी जायेगी जब संघ या संस्थान अपनी आय की उस उद्देश्य जिसके लिए यह स्थापित किया गया है के लिए सम्पूर्ण रूप से और एक मात्र रूप से प्रयोग करता है या उपयोग के लिए संचित करता है जहाँ आय के 85*

* 31.3.2003 तक 75 प्रतिशत

प्रतिशत को क्रीडाओं या खेलों के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है लेकिन ऐसे प्रयोजन के लिए संचित किया गया है या उपयोग करने के लिए अलग से रखा गया है, इस प्रकार संचित या अलग से रखी गई ऐसी आय को पूर्व वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा बशर्ते कि निर्धारिती ऐसे संचयन के प्रयोजन को निर्धारित रीति में निर्धारित प्राधिकारी को लिखित में नोटिस द्वारा उल्लेख करता है और संचयन की अवधि पाँच^६ वर्ष से अधिक नहीं है और इस प्रकार संचित या अलग से रखे गये धन को धारा 11 (5) में निर्दिष्ट फार्म या तरीकों में निवेशित या जमा किया गया है।

3.11.2 निर्धारित सीमाओं की अपेक्षा कम आय के लागू करने के कारण अनियमित छूट के परिणामस्वरूप दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल प्रभागों में चार मामलों में 3.35 करोड़ रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इनमें से एक मामला जिसमें 2.99 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था की नीचे चर्चा की गई है:

3.11.3 पश्चिम बंगाल, डी आई टी (छूट), कोलकाता प्रभाग में निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 के लिए क्रिकेट एसोसिएशन आफ बंगाल (सी ए बी) का निर्धारण मार्च 2000 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 से संबंधित निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि न तो क्रीडाओं या खेलों के प्रयोजन के लिए आय के 75 प्रतिशत का उपयोग किया गया था और न ही निर्धारण अधिकारी को धारा 11 (2) के अन्तर्गत यथापेक्षित उसके बारे में सूचित किया गया। इसके अतिरिक्त, 10 वर्ष अर्थात् निर्धारण वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 तक के अन्दर अव्ययित आय (धारा 11 (2) के अन्तर्गत यथापेक्षित) के उपयोग को प्रमाणित नहीं किया जा सका क्योंकि विभाग ने आय के संचयन और इसके उचित उपयोग की जाँच करने के लिए बोर्ड के दिनांक 23 अप्रैल 1984 के अनुदेश सं. 1559 द्वारा यथा निर्धारित रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया था। आय के संचयन और निर्दिष्ट अवधि के अन्दर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग के बारे में आन्तरिक नियंत्रणों के अभाव की चर्चा अधोलिखित पैरा 3.23.6 और 3.23.7 में की गई है। गलती के कारण ब्याज को शामिल करते हुए 2.99 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

3.11.4 विभाग ने यह बताते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया कि चूंकि निर्धारिती को धारा 10 (23) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था इसलिए समस्त आय को कर प्रयोजनों के लिए छूट दी जानी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धारा 11 (2) और 11 (3) के प्रावधान धारा 10 (23) के लाभों को लेने वाले निर्धारितियों को लागू है। विभाग ने जून 2006 में पुनः बताया कि उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही थी।

^६ 1.4.2001 से पूर्व 10 वर्ष

3.12 संचित आय के निवेश न करने/निर्दिष्ट तरीकों से न किये गये निवेश के कारण अनियमित छूट

3.12.1 धारा 11 के अन्तर्गत संचित निधियों को धारा 11 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट फार्म या तरीकों से निवेश या जमा किया जायेगा। यदि न्यास/संस्थान निवेश नहीं करता है, या उसके अन्तर्गत यथा निर्दिष्ट फार्म या तरीकों से अन्यथा अपनी निधियों का निवेश या जमा करता है तो छूट के लाभ से इन्कार किया जायेगा।

3.12.2 संचित आय का या तो निवेश न किए जाने या धारा 11 (5) के अन्तर्गत निर्दिष्ट के अलावा फार्म या तरीकों में निवेशित किए जाने के कारण अनियमित छूट के परिणामस्वरूप चण्डीगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र प्रभागों में सात मामलों में 20.83 करोड़ रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। एक ऐसे मामले का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

3.12.3 महाराष्ट्र, डी आई टी (छूट), मुम्बई प्रभाग में, निर्धारण वर्ष 2002-03 और 2004-05 के लिए बोर्ड आफ कन्ट्रोल फोर क्रिकेट इन इण्डिया (बी सी सी आई) का निर्धारण क्रमशः दिसम्बर 2002 और अगस्त 2005 में संक्षिप्त रीति में पूरा हुआ था। निर्धारिती ने धारा 11 के अन्तर्गत छूट का दावा किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2002-03 और 2004-05 निर्धारण वर्षों से संबंधित सृजित के रूप में 87.26 करोड़ रुपये के संचयनों में से निर्धारिती ने दो वर्षों के दौरान मात्र 30.43 करोड़ रुपये निवेश किये थे। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 और 2004-05 के दौरान संचित निधियाँ तुलनपत्र में निवेशों के उपचय के अनुरूप नहीं थी। परिणामतः, किये गये निवेशों में 56.83 करोड़ रुपये की राशि की कमी हुई थी। इस प्रकार, निर्धारिती धारा 11 के अन्तर्गत किये गये निवेशों में कमी की सीमा तक छूट का दावा करने के लिए पात्र नहीं था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 20.09 करोड़ रुपये के कुल कर प्रभाव सहित निर्धारण वर्ष 2002-03 में 28.32 करोड़ रुपये तक और निर्धारण वर्ष 2004-05 में 28.51 करोड़ रुपये तक आय का अवनिर्धारण हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

3.12.4 दो समान मामलों को परिशिष्ट 14 के क्रम संख्या 3 और 4 पर दिया गया है।

3.13 न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के गैर-आनुषंगिक कारबार कार्यकलापों को करने के कारण अनियमित छूट

3.13.1 कारबार के लाभ और अभिलाभ होने से एक न्यास या एक संस्थान की आय को तब तक कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा जब तक कारबार न्यास/संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के आनुषंगिक नहीं है और ऐसे कारबार के संबंध में लेखाओं की पृथक बहियों का रखरखाव ऐसे न्यास/संस्थान द्वारा किया गया है।

3.13.2 न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गैर-आनुषंगिक कारबार कार्यकलापों को करने के कारण अनियमित छूट के परिणामस्वरूप असम, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में चार मामलों में 78.18 लाख रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। ऐसा एक मामला नीचे तालिका 4 में दिया गया है:

तालिका 4 : न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गैर-आनुषंगिक कारबार कार्यकलापों को करने के कारण अनियमित छूट						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/निर्धारण की तारीख	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	विभाग का उत्तर
1.	ओटर्स क्लब डी आई टी (छूट) मुम्बई	2002-03 2004-05	संक्षिप्त 21 फरवरी 2003, 23 फरवरी 2005	रनिंग कार्ड रूम, पर्मित रूम, सामाजिक कार्य, बार और रेस्टोरेंट आदि के कार्यकलापों को करना जो संस्थान के उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक नहीं हैं। समान आय को निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए संवीक्षा निर्धारण के दौरान करयोग्य के रूप में रखा गया था।	63.92	प्राप्त नहीं हुआ

3.14 निर्दिष्ट निदेश के बिना संग्रह निधि को प्रदान की गई अनियमित छूट

3.14.1 निर्दिष्ट निदेश के साथ किये गये स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय कि वे न्यास या संस्थान के संग्रह का भाग होंगे, को आय की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति के पूर्व वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा।

3.14.2 तथापि, निर्दिष्ट निदेश के बिना प्राप्त हुआ स्वैच्छिक अंशदान कि ये संस्थानों की संग्रह निधि का भाग होंगे को, महाराष्ट्र और पंजाब प्रभागों में तीन मामलों में छूट की अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 76.98 लाख रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इनमें से दो मामलों को परिशिष्ट 14 के क्रम संख्या 5 और 6 पर दिया गया है।

3.15 न्यास/संस्थान के मूल उद्देश्यों के पूरा न करने के कारण अनियमित छूट

3.15.1 धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण रूप से न्यास के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय उस सीमा तक जिस तक ऐसी आय का भारत में ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, को आय की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति के पूर्व वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा।

3.15.2 धर्मार्थ या धार्मिक न्यास/संस्थान के मूल उद्देश्यों के लिए आय के उपयोग न करने के कारण अनियमित छूट के परिणामस्वरूप तमिल नाडु प्रभार में तीन मामलों में 51.46 लाख रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इनमें से एक मामला **परिशिष्ट 14** के **क्रम संख्या 7** पर दिया गया है।

3.16 मूल्यहास की अनियमित अनुमति

3.16.1 अधिनियम के अन्तर्गत, धर्मार्थ न्यास/संस्थान की आय धारा 11 से 13 के अन्तर्गत निर्धार्य है जिसमें न्यास के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त आय व्यय के स्वरूप या तो राजस्व या पूँजीगत के निरपेक्ष कटौती के लिए पात्र हैं। जहाँ परिसम्पत्ति की लागत को आय और व्यय लेखा में ही आय के उपयोग के रूप में अनुमति दी गई है वहाँ ऐसी स्थाई परिसम्पत्ति पर मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए किसी परिसम्पत्ति के बारे में अनुमत कुल मूल्यहास कथित परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं हो सकता। यदि अनुमति दी गई तो यह दोहरी कटौती के बराबर होता है।

3.16.2 आय के उपयोग (आय और व्यय लेखा में) के रूप में पहले से मानी गई पूँजीगत परिसम्पत्ति पर मूल्यहास की गलत अनुमति और कटौती के लाभ को दिये जाने के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश प्रभारों में 15 मामलों में 1.59 करोड़ रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इनमें से, एक मामला नीचे तालिका 5 में दिया गया है:

तालिका 5: मूल्यहास की अनियमित अनुमति						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम/आक आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/निर्धारण की तारीख	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	विभाग का उत्तर
1	पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, मोहाली चण्डीगढ़ II	2003-04 2004-05	संवीक्षा जनवरी 2006 संक्षिप्त मार्च 2005	मूल्यहास की गलत अनुमति हालांकि पूँजीगत व्यय को	47.84 49.71 (संभाव्य)	विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि न्यास को मूल्यहास की अनुमति दोहरी कटौती नहीं है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है

				न्यास के उद्देश्य के लिए आय (आय और व्यय लेखा में) के उपयोग के रूप में अनुमति दी गई	क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उद्भूत मुददा यह नहीं है कि मूल्यहास एक अनुज्ञेय कटौती नहीं है। पैरा में उल्लिखित मामला यह है कि जब एक परिसम्पत्ति की लागत को आय एवं व्यय लेखा में ही आय के उपयोग के रूप में पहले ही अनुमति दी गई है तब ऐसी स्थाई परिसम्पत्ति पर मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए किसी परिसम्पत्ति के बारे में अनुमत कुल मूल्यहास कथित परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं हो सकता। यदि अनुमति दी गई है तो यह दोहरी कटौती के बराबर होता है।
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.17 स्रोत पर कर की कटौती करने में चूक

3.17.1 किसी प्रकार के किसी खेल से जीत के रूप में किसी आय का किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाँच हजार रुपये से अधिक की राशि होने पर उसके भुगतान के समय पर लागू दरों पर उससे आय कर की कटौती करेगा। स्रोत पर कटौती करने की विफलता और केन्द्र सरकार को इसका भुगतान करने में विलम्ब पर ब्याज और शास्ति का उद्ग्रहण किया जायेगा।

3.17.2 विभिन्न खेल व्यक्तित्वों को किये गये भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती न करने के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पाँडीचेरी प्रभागों में नौ मामलों में शास्ति सहित 5.41 करोड़ रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इनमें से दो मामलों की चर्चा नीचे की गई हैं। एक समान मामला **परिशिष्ट 14** के **क्रम संख्या 8** पर दिया गया है।

3.17.3 केरल, त्रिवेन्द्रम प्रभाग में यह पाया गया था कि केरल खेल परिषद ने खेल व्यक्तियों को किये गये भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती नहीं की। उस पर ब्याज और शास्ति सहित कटौती न किया गया कर 2.23 करोड़ रुपये तक था जैसाकि नीचे तालिका 6 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 6 : स्रोत पर कर कटौती करने में चूक			
क्रीडाओं और खेलों से जीत के लिए प्रदत्त राशि (लाख रुपये में)	भुगतान की तारीख/प्रापक के लेखा को क्रेडिट	देय कुल टी डी एस तथा ब्याज और शास्ति (लाख रुपये में)	विभाग का उत्तर
187.03	1.11.02	145.23	विभाग ने बताया कि पुरस्कारों को खेल व्यक्तित्वों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में खेल व्यक्तियों को दिया गया था और इसलिए धारा 194 बी लागू नहीं थी। विभाग ने पुनः बताया कि केरल सरकार द्वारा दिये गये नगद पुरस्कारों को धारा 10 (17 ए) के अन्तर्गत छूट है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शब्द 'किसी प्रकार के खेल' को धारा 194 बी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1 जून 2001 से सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार, खेल व्यक्तियों को दिये गये नगद पुरस्कार धारा 194 बी के अन्तर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 10(17ए) के लाभ को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये पुरस्कारों को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित करना अपेक्षित है जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया था।
5.00	1.10.03	3.49	
15.29	8.12.04	10.03	
1.00	7.10.05	0.63	
104.46	14.2.06	64.09	
312.78		223.47	

3.17.4 आन्ध्र प्रदेश प्रभार में यह पाया गया था कि आन्ध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण (एस ए ए पी), आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2001 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान पुरस्कारों/प्रोत्साहनों के रूप में खेल व्यक्तित्वों को 3.62 करोड़ रुपये वितरित किये। तथापि, कर की कटौती वितरित की गई राशियों से स्रोत पर नहीं की गई थी। उस पर ब्याज और शास्ति सहित कटौती न किया गया कर 2.61 करोड़ रुपये की सीमा तक था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

3.17.5 पैरा संख्या 3.17.2, 3.17.3 और 3.17.4 में यथा उल्लिखित स्रोत पर कटौती किये गये कर से संबंधित मामलों का उल्लेख 'टी डी एस/टी सी एस योजनाओं के कार्यान्वयन' की समीक्षा में भी किया गया है।

3.18 निर्धारण से बच गई आय

3.18.1 आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, यदि निर्धारण अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि कर को प्रभार्य कोई आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई है तो वह ऐसी आय और कर को प्रभार्य किसी अन्य आय, जो निर्धारण से बच गई है और जो बाद में उसकी जानकारी में आती है, का भी निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है अथवा हानि या मूल्यह्रास अनुमति या किसी अन्य अनुमति की पुनः गणना, संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए जैसा भी मामला हो कर सकता है।

3.18.2 आन्ध्र प्रदेश, चण्डीगढ़ (यू टी), दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में निर्धारण से बच गई आय के 20 मामले लेखापरीक्षा के ध्यान में आये जिसमें 4.88 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था। एक मामले का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

3.18.3 महाराष्ट्र, डी आई टी (ई) मुंबई प्रभाग में निर्धारण वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल फोर क्रिकेट इन इण्डिया (बी सी सी आई) का निर्धारण क्रमशः मार्च 2002 और मार्च 2003 में संवीक्षा के पश्चात और निर्धारण वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 के लिए क्रमशः दिसम्बर 2002 और अगस्त 2005 में संक्षिप्त तरीके में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- निर्धारण वर्ष 1999-2000 और 2000-01 से संबंधित 4.05 करोड़ रुपये की राशि की ब्याज आय को आय के रूप में इसे माने बिना विभिन्न निधियों* में जमा किया गया था। समान ब्याज आय को मार्च 2004 में पूरे किये गये निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए और मार्च 2006 में पूरे किये गये निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए संवीक्षा निर्धारण में उसी निर्धारिती के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा करयोग्य के रूप में लिया गया था। चूक के परिणामस्वरूप 1.90 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।
- निर्धारण वर्ष 1999-2000, 2000-01 2002-03 और 2004-05 के दौरान खिलाड़ियों/अम्पायरों को भुगतान करते समय निर्धारिती ने कतिपय राशियों की कटौती की थी और आय के रूप में इसे माने बिना इन्हें बनेवोलेंट फण्ड में जमा किया था। खिलाड़ियों/अम्पायरों को किये गये भुगतानों से उसी प्रकार की कटौतियों को मार्च 2004 में पूरे किये गये निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए और मार्च 2006 में पूरे किये गये निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए संवीक्षा निर्धारण में उसी निर्धारिती के

* बनेवोलेंट फण्ड इन्टरनेशनल, बनेवोलेंट फण्ड डोमेस्टिक टूर्नामेन्ट्स, सामान्य निधि आदि

बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा करयोग्य के रूप में लिया गया था। चूक के परिणामस्वरूप 27.86 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

3.18.4 दो समान मामले नीचे तालिका 7 में दिये गये हैं।

तालिका 7: निर्धारण से बच गई आय						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/ निर्धारण की तारीख	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	विभाग का उत्तर
1	पंजाब राज्य खेल परिषद चण्डीगढ़	2002-03 2004-05 2005-06	संक्षिप्त 21 मार्च 2003 9 मार्च 2006 20 फरवरी 2006	न्यास के अन्तर्गत धारित न की गई सम्पत्ति से ब्याज आय की छूट का दावा और छूट का प्रदान करना। उसी प्रकार की छूट को संवीक्षा निर्धारण में अस्वीकार किया गया था लेकिन संक्षिप्त निर्धारणों में अनुमति दी गई।	84.99	विवरणियों को संक्षिप्त रीति में प्रक्रिया गत किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती को अनधिकृत लाभों से अन्यथा प्रदान करने और राजस्व के हित के प्रतिकूल संक्षिप्त निर्धारणों से उद्भूत गलतियों को अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारियों को पृथक रूप से उपलब्ध शक्तियों के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है।
2	बम्बई प्रेसीडेन्सी गोल्फ क्लब लिमिटेड	2001-02 2002-03 2004-05 2003-04	संक्षिप्त 29 अक्टूबर 2001	संग्रहीत प्रवेश शुल्क के सीधे	67.28	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

	डी आई टी (छूट) मुम्बई		28 फरवरी 2003 26 अक्तूबर 2004 संवीक्षा 28 मार्च 2006	आरक्षित निधि को जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त , निर्धारिती कम्पनी यद्यपि विशेष प्रावधान (धारा 115 जे बी) के अन्तर्गत कर को दायी थी का तदनुसार निर्धारण नहीं किया गया था।		
--	--------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3.18.5 दो समान मामलों को परिशिष्ट 14 के क्रम संख्या 9 और 10 पर दिया गया है।

3.19 अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय गलती

3.19.1 एक खिन्न निर्धारिती एक निर्धारण अधिकारी जो अपीलीय आदेश में दिये गये निदेशों का अनुपालन करेगा, के आदेश के विरुद्ध आ क आ (अपील) को अपील कर सकता है। अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय हुई किसी गलती के परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण/अधिक निर्धारण होगा।

3.19.2 अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय गलती के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र प्रभार के एक मामले में 4.57 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

महाराष्ट्र डी आई टी (ई) मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल फॉर क्रिकेट इन इण्डिया (बी सी सी आई) का निर्धारण क्रमशः मार्च 2002 और मार्च 2003 में संवीक्षा के पश्चात पूरा हुआ था। निर्धारण अधिकारी ने दोनों वर्षों

के लिए संवीक्षा निर्धारणों के दौरान निर्धारिती को धारा 11 के अन्तर्गत छूट को इन्कार कर दिया था। तथापि, आ क आ (ए) ने निर्धारण वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए क्रमशः अपने आदेश दिनांक 9 नवम्बर 2004 और 7 दिसम्बर 2004 में धारा 11 के अन्तर्गत छूट की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अपीलीय आदेशों को प्रभाव देते समय धारा 11 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत की कटौती को 65.74 करोड़ रुपये की राशि को दो वर्षों के लिए आय एवं व्यय लेखा के अनुसार करयोग्य आय के बजाए 148.40 करोड़ रुपये की विवरणी में दी गई आय पर निकाला गया था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 4.57 करोड़ रुपये के कर प्रभाव सहित 9.67 करोड़ रुपये तक आय का कुल अवनिर्धारण हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

3.20 आय कर विवरणियों का प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलम्ब

3.20.1 धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय की प्राप्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूर्व वर्ष की ऐसी आय की विवरणी निर्धारित फार्म में दाखिल करने के लिए सांविधिक बाध्यता के अन्तर्गत है, यदि आय (धारा 11 और 12 के प्रावधानों के प्रभावी बनाये बिना) कर को गैर प्रभार्य अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति अनुमत समय के अन्दर और निर्धारित रीति में यथाअपेक्षित आय की विवरणी प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है तो वह ऐसी अवधि के दौरान जिसमें विफलता जारी रही के प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपये की राशि की शक्ति के रूप में भुगतान करेगा।

3.20.2 10 मामलों में विवरणी के दाखिल न करने के परिणामस्वरूप असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 19.56 करोड़ रुपये (शास्ति सहित) के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इनमें से, चार मामलों की चर्चा नीचे की गई है। एक मामला **परिशिष्ट 14** के **क्रम संख्या 11** पर भी दिया गया है।

3.20.3 केरल, त्रिवेन्द्रम प्रभाग में यद्यपि केरल खेल परिषद की करयोग्य आय थी फिर भी इसने निर्धारण वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए आय की विवरणियों को दाखिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण से छूट गई। वार्षिक लेखाओं और केरल खेल परिषद से संबंधित अभिलेखों के आधार पर प्रभाव 1.38 करोड़ रुपये निकाला गया। विभाग ने बताया कि उन्हें कर दायरे में लाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई का विचार किया जा रहा था।

3.20.4 केरल, त्रिवेन्द्रम प्रभाग में यद्यपि केरल क्रिकेट एसोसिएशन की करयोग्य आय थी फिर भी इसने निर्धारण वर्ष 2001-02 और 2003-04[‡] के लिए आय की विवरणियों को दाखिल नहीं किया। केरल खेल परिषद के पास निर्धारिती द्वारा दाखिल लेखाओं की जाँच से,

[‡] आय की विवरणी आकलित नहीं।

यह पाया गया था कि 1.04 करोड़ रुपये की कर प्रभाव वाली आय निर्धारण से छूट गई थी। विभाग ने बताया कि उन्हें कर दायरे में लाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई का विचार किया जा रहा था।

3.20.5 पश्चिम बंगाल, डी आई टी (छूट), कोलकाता प्रभार में, यद्यपि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की करयोग्य आय थी फिर भी इसने निर्धारण वर्ष 1990-91 और 1995-96 से 1998-99 के लिए आय की विवरणियों को दाखिल नहीं किया। धारा 144 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धारा 139 (1) के अन्तर्गत विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय से कुल आय का निर्धारण करेगा और निर्धारिती द्वारा देय राशि का अवधारण करेगा। तथापि, इसे विभाग द्वारा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित (विभिन्न निर्धारण फोल्डरों में रखे गये वार्षिक लेखाओं के आधार पर निकाला गया) 13.37 करोड़ रुपये के कर का अवप्रभार अन्तर्गत था। उत्तर में, विभाग ने बताया कि निर्धारण वर्ष 1995-96 से 2002-03 के लिए बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई और इस प्रकार निर्धारण का कोई प्रश्न नहीं था। विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाहियों के प्रारम्भ न करने के कारण राजस्व की हानि बताई।

3.20.6 महाराष्ट्र, नागपुर I प्रभार में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2005-06 के लिए कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की। लेखापरीक्षा विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन से वार्षिक रिपोर्टों को इकट्ठा कर सका जिससे 3.06 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाली 9.54 करोड़ रुपये की आय के छिपाव का निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2005-06 के लिए पाया गया था। विभाग ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2006) में बताया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए स्वैच्छिक रूप से आय की विवरणी दाखिल की है और शेष वर्षों अर्थात् 2001-02 से 2004-05 के लिए धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस निर्धारिती को जारी किये गये थे और निर्धारण कार्यवाहियाँ अन्तिम रूप देने के लिए लम्बित थीं।

3.21 विभाग के असंगत निर्णयों के परिणामस्वरूप अनभिप्रेत लाभ

3.21.1 अधिनियम के अन्तर्गत, खेलों के प्रोत्साहन को धर्मार्थ प्रयोजन के रूप में माना गया है और इस प्रकार, धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित सम्पत्ति से आय को आय कर से छूट है। निर्धारण वर्ष 2002-03 तक अधिसूचित खेल संघ/संस्थान की आय को धारा 10 (23) के अन्तर्गत छूट थी जिसे निर्धारण वर्ष 2003-04 से वापस ले लिया गया था।

3.21.2 महाराष्ट्र, डी आई टी (छूट) मुम्बई प्रभार में बोर्ड आफ कन्ट्रोल फॉर क्रिकेट इन इण्डिया (बी सी सी आई) को निर्धारण वर्ष 1998-99 तक धारा 10 (23) के अन्तर्गत छूट के लिए पात्र एक अधिसूचित संघ था। निर्धारिती अधिनियम की धारा 12 ए के अन्तर्गत न्यास के रूप में पंजीकृत भी था। आय की अपनी विवरणी में, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2004-05 के लिए धारा 10(23) और धारा 11 के अन्तर्गत छूट का दावा किया। धारा 10

(23) और 11 के अन्तर्गत दावा की गई छूट को संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-01 के लिए इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि संघ के पदधारी संगठन को स्वयं साध्य के रूप में चला रहे थे और किसी पदधारी का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। इसके अतिरिक्त, संगठन ने पदधारियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए क्रिकेट के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी।

3.21.3 तथापि, अपील में आ क आ (ए) ने निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए धारा 10 (23) के अन्तर्गत इस आधार पर छूट की अनुमति दी कि निर्धारण अधिकारी के पास अधिसूचित संघ को छूट अस्वीकार करने की शक्तियाँ नहीं थी और निर्धारण वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए धारा 11 के अन्तर्गत छूट अनुमत की। विभाग ने अधिकरण में निर्धारण वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए धारा 11 के अन्तर्गत छूट की अनुमति के लिए अपील आदेश का विरोध किया और अपील लम्बित है।

3.21.4 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि विभाग ने अपील आदेश का विरोध किया था जिसके अनुसार छूट को धारा 11 के अन्तर्गत अनुमति दी गई थी फिर भी निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2001-02 और 2003-04 के लिए और निर्धारण वर्ष 2002-03 और 2004-05 के लिए संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारिती को धारा 11 के अन्तर्गत छूट की अनुमति दी, विवरणियों को संक्षिप्त तरीके में स्वीकार किया गया जिसमें धारा 11 के अन्तर्गत छूट की अनुमति दी गई। चूँकि विभाग आई टी ए टी में धारा 11 के अन्तर्गत छूट की अनुमति का विरोध कर रहा है इसलिए आगामी निर्धारण वर्षों में छूट की अनुमति का औचित्य नहीं था। इस प्रकार, विभाग द्वारा लिये गये निर्णयों में असंगतता थी। यदि विभाग ने उपर्युक्त चर्चा के अनुसार अपील आदेश के विरोध के लिए इसके निर्णय के अनुसार कार्य किया होता तो 148.07 करोड़ रुपये (छूट प्रदान करने के रूप में) के अनभिप्रेत लाभ को निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2004-05 के लिए निर्धारिती को दिया नहीं जाता जिसमें 60.30 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।

3.21.5 समापन सम्मेलन में बोर्ड मामले की जाँच करने के लिए सहमत हुआ।

3.22 खेल संघों/संस्थानों को विभाग द्वारा कर दायरे के अन्तर्गत नहीं लाया गया

3.22.1 कर अपवंचन को रोकने के लिए और कर दायरे की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने 1 जुलाई 1997 से आयुक्त के अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना शाखा (सी आई बी) को चालू किया था जो आय कर प्राप्ति के लिए उनके संभाव्यता के संबंध में विभिन्न स्रोतों से निर्धारितियों के बारे में सूचना एकत्रित करता है और इसे संबंधित निर्धारण अधिकारियों को भेजता है। इसके पश्चात् निर्धारण अधिकारियों को विवरणियों को मँगाने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ करना और निर्धारणों में विशिष्ट सूचना की जाँच करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारियों को सर्वेक्षण परिचालनों और सूचना संग्रहीत करने के लिए अधिनियम की धारा 133 ए और 133 बी के अन्तर्गत शक्तियाँ हैं।

3.22.2 लेखापरीक्षा ने आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिल नाडु प्रभागों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों या विभिन्न संघों से सम्बद्ध अनुदानों को प्राप्त करने वाले 3273 खेल संघों और क्लबों, जिसका ब्यौरा नीचे तालिका 8 में दिया गया, के बारे में सूचना एकत्र की, जिसकी जाँच करने और उनकी स्थिति के अनुसार विभाग को कर दायरे के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता थी जिसकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है। विभाग ने यह स्थापित करने के लिए किसी साक्ष्य की पुष्टि नहीं की/ प्रस्तुत नहीं किया कि कथित संघ/क्लब निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान आय कर विवरणियों को दाखिल कर रहा है। इन मामलों में कोई सूचना सी आई बी द्वारा एकत्र नहीं की गई थी। कोई सर्वेक्षण प्रचालन भी नहीं किया गया था।

तालिका 8 : विभाग द्वारा कर दायरे के अन्तर्गत न लाये गये खेल संघ/संस्थान			
क्रम संख्या	आ क आ प्रभार	पहचान किये गये कुल मामले	लेखापरीक्षा द्वारा यथा अभिनिश्चित स्थिति
1	डी आई टी (छूट) चेन्नई	36 खेल संघ	तमिल नाडु के खेल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार खेल संघ। ये संघ तमिल नाडु राज्य में खेल के विकास के लिए अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
2	डी आई टी (छूट) चेन्नई	809 क्लब/जिला क्रिकेट संघ	तमिल नाडु क्रिकेट संघ से सम्बद्ध तमिल नाडु क्रिकेट संघ से संबंध क्लब। तमिल नाडु क्रिकेट संघ की 73वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इन 809 क्लबों ने 3699 लीग मैच आयोजित किये थे।
3	डी आई टी (छूट) चेन्नई	111 निजी क्लब	तमिल नाडु क्रिकेट संघ से सम्बद्ध क्लब/जिला संघ।
4	पाँडीचेरी	21 खेल संघ	पाँडीचेरी राज्य खेल परिषद के अभिलेखों के अनुसार खेल संघ।
5	डी आई टी (छूट) हैदराबाद	1545 खेल संघ	जिला निबंधक आश्वासन (स्टाम्प एवं पंजीकरण) और जिला खेल प्राधिकारियों के अभिलेखों के अनुसार खेल संघ।

6	गुवाहाटी I एवं II /शिलांग जोरहट डिब्रूगढ़	98 खेल संघ	जिला और राज्य खेल संघ।
7	चण्डीगढ़ I एवं II	28 खेल संघ	निदेशक खेल और खेल परिषद, संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ के अभिलेखों के अनुसार खेल संघ।
8	हिमाचल प्रदेश प्रभार	49 खेल संघ	सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे खेल संघ।
9	केरल प्रभार	469 खेल संघ	केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा गठित खेल प्राधिकरणों/परिषदों जिला निबन्धक समितियाँ, दूरभाष निर्देशिका, इन्टरनेट आदि से एकत्र की गई सूचना।
10	गोवा	33 खेल संघ	गोवा खेल प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त कर रहे खेल संघ।
11	डी आई टी (छूट) बेंगलूर	34 खेल संघ	सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे खेल संघ और उनकी वार्षिक आय छूट सीमा से अधिक हो गई।
12	डी आई टी (छूट) मुम्बई पुणे I नागपुर II,III	20 खेल संघ/क्लब	खेल संघों ने (सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे कुछ) अपनी विवरणियाँ दाखिल नहीं की जैसाकि विवरणी प्राप्ति रजिस्टर से देखा गया। डी आई टी (ई), मुम्बई से संबंधित 8 खेल संघों के बारे में विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और 3 अक्टूबर 2006 को धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया।
13	अन्य*	20 खेल संघ	सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे खेल संघ।

3.22.3 उपर्युक्त क्रम संख्या 1,2 और 4 के संबंध में निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2005-06 के लिए विवरणियों के दाखिल न करने के लिए 100 रुपये प्रतिदिन की दर पर वसूलीयोग्य शास्ति की संभावित राशि 47.41 करोड़ रुपये आई है। विभाग ने उत्तर दिया (उपर्युक्त क्रम

* जयपुर (राजरथान), राँची, जमशेदपुर, धनबाद, हजीराबाग (झारखंड) प्रभार।

संख्या 1 और 2 के संबंध में) कि मामले का अवलोकन किया जायेगा और ब्यौरा इकट्ठा किया जायेगा कि क्या वे पृथक हस्ती हैं और क्या वे कर को निर्धार्य हैं और अधिनियम की धारा 12 (ए ए) के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया तो कार्रवाई की जायेगी और प्रगति सूचित की जायेगी। उपर्युक्त क्रम सं.4 के संबंध में, विभाग ने बताया कि ये संघ विभिन्न खेल कार्यकलापों के प्रोत्साहन में लगे अलाभकर निकाय हैं और राज्य परिषद भी विभिन्न खेलों के खर्चों को पूरा करने के लिए इन निकायों को निधियाँ देते हैं। विभाग ने पुनः बताया कि क्योंकि ये लाभ अर्जक संगठन नहीं हैं इसलिए आय पर कर नहीं लगाया जा सकता। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मामला आय कर विवरणियों के दाखिल न करने का है। विभाग ने इस मामले का उत्तर नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, यदि अधिनियम की धारा 11 और 12 के अन्तर्गत यथाउल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता तो धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों की आय भी कर योग्य होती है।

3.22.4 बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब प्रभागों में किसी भी खेल संघ/संस्थान और खेल व्यक्तित्वों को कर दायरे में निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान नहीं लाया गया था। बिहार के संबंध में खेल संघों/संस्थानों में से किसी की भी आय की विवरणी दाखिल की गई नहीं पाई गई थी और न ही किसी खेल संघों/संस्थानों को कर दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई थी।

3.22.5 बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया कि संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों से स्थिति पर अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए और इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।

3.22.6 बोर्ड ने समापन सम्मेलन में बताया कि सभी ऐसे मामलों का मॉनीटरन किया जायेगा और उनके तर्कसंगत निष्कर्ष के लिए कार्रवाई की जायेगी।

3.23 आन्तरिक लेखापरीक्षा/नियंत्रण तन्त्र

3.23.1 पुनर्गठन के भाग के रूप में आन्तरिक लेखापरीक्षा की विद्यमान प्रणाली को निर्धारणों और प्रतिदायों की आन्तरिक जाँचों को सुदृढ़ करने के मद्देनजर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आन्तरिक लेखापरीक्षा की नई चेन प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा की नई प्रणाली में सभी मामलों की निर्धारित प्रतिशतता, जहाँ निर्धारणों को माह के दौरान पूरा किया गया था की अनुवर्ती माह की समाप्ति तक आन्तरिक रूप से लेखापरीक्षा की जानी है। एक क्षेत्र की आन्तरिक लेखापरीक्षा दूसरे क्षेत्र द्वारा की जानी है। लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नवत देखा:

3.23.2 आन्ध्र प्रदेश में लेखापरीक्षा में जाँच किये गये 109 मामलों में से मात्र एक मामला आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया था।

3.23.3 कर्नाटक में, दो सर्किल कार्यालयों में नमूना जाँच से पता चला कि कोई चेन आन्तरिक लेखापरीक्षा आयकर निदेशक (छूट) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक सर्किल में निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक और दूसरे सर्किल में 2001-02 से 2004-05 तक नहीं की गई थी। इसी प्रकार, डी आई टी (ई) मुम्बई के प्रभार के अन्तर्गत, छः निर्धारण प्रभार थे और यह जाँच करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा की कोई चेन प्रणाली नहीं थी कि क्या निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया गया निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार था।

3.23.4 केरल में, 2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान पूरे किये निर्धारणों के 42 मामलों में से मात्र पाँच मामले का अवलोकन आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा किया गया और 18 मामलों जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा गलतियाँ बताई गई थी में से मात्र एक मामले की जाँच आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी और इस मामले में लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई गलती का पता आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा नहीं लगाया गया था।

3.23.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा के संबंध में बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा चेन प्रणाली के कार्यचालन की समीक्षा की जा रही थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा का नवीनीकरण करने के लिए प्रस्ताव बोर्ड के विचाराधीन था।

3.23.6 बोर्ड ने 23 अप्रैल 1984 को 'आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) और 11(3)-न्यास के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय का संचयन-स्पष्टीकरण के संबंध में' अनुदेश सं. 1559 जारी किया था। अनुदेश में, बोर्ड ने बताया, "लोक लेखा समिति की सिफारिश पर, बोर्ड को शब्द 'उपयोग किये गये' के विशेष सन्दर्भ में धारा 11(2) और 11(3) के लागू करने पर एक साधारण अध्ययन करने का अवसर मिला था। अध्ययन से पता चला कि आय कर अधिकारी द्वारा कोई नियंत्रण या जाँच नहीं की गई है, जब कभी वह अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत आय का संचयन अनुमत करता है। यह देखने में आयेगा कि आय कर अधिकारी का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि आय जिसे उसकी अनुमति से संचित किये जाने की अनुमति दी गई है, को धारा 11(3) के साथ पठित धारा 11(2) के नियमों के अन्दर लाया गया है। यह सुनिश्चित करने के मद्देनजर कि आय कर अधिकारी धारा 11(2) और 11(3) के प्रावधानों का पालन करने के लिए जाँच करता है, इसके लिए एक रजिस्टर निर्धारित है। इससे सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक आगामी निर्धारण के लिए आय कर अधिकारी यह जानने की स्थिति में होगा कि संचयन की इस मामले में अनुमति दी गई है और कानून की आवश्यकताओं के निरन्तर पालन की जाँच की जानी है। अनुदेश में, आय कर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः सलाह दी गई है कि संचित राशि का वास्तविक रूप से अनुमत प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है और ऐसा करने में, यह देखने के लिए सभी सावधानी बरतनी चाहिए कि संचित आय को उपयोग के वास्तविक तात्पर्य में लगाया गया है। रजिस्टर का निर्धारित फॉर्मेट नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	न्यास/संस्थान का नाम और पता-पी ए एन संख्या	निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में धारा 11(2) के अधीन	संचित राशि/अलग रखी गई राशि	वर्षों की संख्या जिसके लिए आय संचित की
-------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

		आवेदन पत्र किया गया		गई/अलग रखी गई
--	--	---------------------	--	---------------

3.23.7 लेखापरीक्षा ने पाया कि कथित रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था और संचित या अलग से रखी गई आय के निवेश और उपयोग को सत्यापित करने के लिए विभाग में कोई तन्त्र विद्यमान नहीं था जिस पर छूट की अनुमति असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभारों के राज्यों में दी गई थी। इस प्रकार विभाग द्वारा अनुमत छूट (धारा 11 के अन्तर्गत) की यथार्थता को किये गये निवेशों; अनुबद्ध अवधि के अन्दर विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनके आहरण एवं उपयोग के ब्यौरे की अनुपालब्धता के कारण लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, विभाग के पास यह जाँच करने के लिए कोई आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र नहीं था कि क्या संचित आय को विशिष्ट अवधि के अन्दर विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था या नहीं। दिल्ली प्रभार के बारे में विभाग ने बताया कि बहुत से मामलों के बारे में निर्धारण धारा 143(1) के अन्तर्गत पूरा हुआ था और इस धारा के अन्तर्गत किसी जाँच-पड़ताल की अनुमति नहीं थी। उत्तर सुसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मामला किये गये संचयन और निवेशों को और विशिष्ट समय के अन्दर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग को सत्यापित करने के लिए विभाग में तन्त्र के विद्यमान न होने के संबंध में है।

3.23.8 आन्तरिक नियंत्रण के संबंध में, बोर्ड ने बताया कि अनुबद्ध अवधि के अन्दर विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निवेश, इसके आहरण और उपयोग के वर्षवार ब्यौरे की जाँच करने के लिए और यह जाँच करने के लिए कि क्या आय को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है और उल्लंघनों में छूटों को रोकने के लिए विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र को कमजोर नहीं कहा जा सकता क्योंकि वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट सीमा से अधिक सकल प्राप्तियों वाले और धारा 11 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले सभी मामलों की अधिनियम की धारा 143 (3) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से संवीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, धारा 11 के अन्तर्गत छूट का दावा वाले अन्य मामलों को भी संवीक्षा के लिए चुना जा सकता है यदि प्राधिकारी महसूस करते हैं कि उनमें प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है।

3.23.9 निम्नलिखित के मद्देनजर बोर्ड का उत्तर मान्य नहीं है:

- बोर्ड के अनुदेश संख्या 1559 के अनुसार रजिस्टर का रखरखाव और संवीक्षा के लिए मामलों का चयन अलग मामले हैं। निर्धारण के पूरा होने के बाद भी रजिस्टर का रखरखाव अपेक्षित है चाहे वह संवीक्षा या संक्षिप्त रीति में हो क्योंकि निर्धारण अधिकारी को विशिष्ट अवधि के अन्दर विशिष्ट उद्देश्य के लिए संचित आय के उपयोग की निगरानी करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा के इस तर्क का समर्थन इस प्रतिवेदन (पैरा 3.11.3) में उल्लिखित मामले द्वारा किया गया है।
- अनुदेश संख्या 1559 को लोकलेखा समिति की सिफारिशों पर जारी किया गया था। अनुदेशों को असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम

बंगाल प्रभागों के राज्यों में अभी लागू नहीं किया गया है, जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया।

3.23.10 समापन सम्मेलन के दौरान बोर्ड ने रजिस्टर के रखरखाव के लिए विद्यमान अनुदेशों की पुनरावृत्ति करते हुए इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को परिपत्र जारी करने के लिए सहमति दी। बोर्ड ने यह भी उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 44 ए बी की परिधि के अन्तर्गत छः वर्षों के लिए वांछित सूचना को लाने के लिए मामले की जाँच की जायेगी।

3.24 धारा 80 आर आर के अन्तर्गत अनियमित छूट

3.24.1 धारा 80 आर आर के अन्तर्गत जहाँ एक लेखक, नाटककार, आर्टिस्ट, वाद्यकर, अभिनेता या खिलाड़ी (एक अथेलिट सहित) होने के नाते भारत में एक निवासी व्यक्ति की सकल कुल आय में विदेशी सरकार से या भारत में गैर-निवासी किसी व्यक्ति से उसकी वृत्ति के उपयोग में उसके द्वारा व्युत्पन्न और पूर्व वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के अन्दर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारित द्वारा या उसकी ओर से भारत में लाई गई किसी आय को शामिल किया जाता है, वहाँ ऐसी आय से निर्धारित प्रतिशतता पर कटौती व्यक्ति की कुल आय की संगणना में अनुमत होगी। इसके अलावा, धारा 80 आर आर के अन्तर्गत कोई कटौती की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक निर्धारित आय की विवरणी के साथ यह प्रमाणित करते हुए निर्धारित फार्म* में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि कटौती का दावा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार सही रूप से किया गया है।

3.24.2 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धारा 80 आर आर के अन्तर्गत कटौती की अनुमति आय (i) जिसका अर्जन खिलाड़ी की क्षमता में नहीं किया गया था, (ii) निर्धारित फार्म (संख्या 10 एच) में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था के संबंध में दी गई थी, जिसमें चण्डीगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रभागों में सात मामलों में 4.51 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्गत था। इनमें से दो मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

3.24.3 आ क आ-XIX, मुम्बई के प्रभाग के अन्तर्गत निर्धारित श्री सचिन आर तेन्दुलकर के संबंध में निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 8.89 करोड़ रुपये की कुल कटौती खेल समर्थन अर्थात् विज्ञापन और प्रचार कार्यकलापों के कारण उसके द्वारा प्राप्त हुए विदेशी प्रेषणों पर अनुमत की गई, जैसाकि नीचे तालिका 9 में दिखाया गया है:

तालिका 9 : धारा 80 आर आर के अन्तर्गत अनियमित छूट					
निर्धारण वर्ष	धारा के अन्तर्गत आदेश और तारीख	सकल विदेशी विनिमय अर्जन (लाख रुपये में)	धारा 80 आर आर के अन्तर्गत अनुमत कटौती की प्रतिशतता	अनुमत राशि (लाख रुपये में)	कर प्रभाव (ब्याज सहित) (लाख रुपये में)
1998-99	143(3) ता.29.12.00	282.04	75	189.28	88.88

* फार्म संख्या 10 एच

1999-2000	143(3) ता.: 28.3.01	206.58	75	147.85	60.77
2000-01	143(1) ता.: 20.3.02	92.86	75	69.64	30.70
2001-02	143(1) ता.: 3/02	559.22	60	335.53	136.04
2002-03	143(1) ता.: 25.1.03	237.11	45	106.70	32.66
2004-05	143(1) ता.: 3.8.05	255.77	15	38.36	12.67
जोड़				887.36	361.72

3.24.4 चूँकि आय खिलाड़ी की वृत्ति से व्युत्पन्न नहीं की गई थी, इसलिए कटौती की अनुमति सही नहीं थी। विभाग का तर्क कि निर्धारिती ने आर्टिस्ट की क्षमता में इसे व्युत्पन्न किया था, यह स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने माडेलिंग की क्षमता में आय प्राप्त की थी जिसका इस धारा के प्रयोजन के लिए आर्टिस्ट के रूप में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आगे यह पाया गया था कि निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए मार्च 2006 में संवीक्षा निर्धारण के दौरान, धारा 80 आर आर के अन्तर्गत कटौती की समान आधारों पर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार, 8.87 करोड़ रुपये की राशि की निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2002-03 और 2004-05 के लिए धारा 80 आर आर के अन्तर्गत कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 3.62 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2006) में बताया कि निर्धारण वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के संबंध में निर्धारणों को पुनः खोला गया था और निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारण का संवीक्षा के लिए चयन किया गया था। विभाग ने पुनः बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जायेगा।

3.24.5 एक और मामला नीचे तालिका 10 में दिया गया है:

तालिका 10 : धारा 80 आर आर के अन्तर्गत अनियमित छूट						
क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/निर्धारण की तारीख	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	
1	श्री सुनील गावस्कर मुम्बई V	2001-02 2000-01 2002-03	संवीक्षा 25 अप्रैल 2003 संक्षिप्त 29 दिसम्बर 2000	टीकाकार की क्षमता में प्राप्त हुए विदेशी प्रेषण धारा 80 आर आर के	80.34	

			24 फरवरी 2003	अन्तर्गत नहीं आते	
--	--	--	------------------	----------------------	--

3.25 खेल व्यक्तित्वों द्वारा प्राप्त किये गये पुरस्कारों पर छूट का अनियमित प्रदान करना

3.25.1 अधिनियम की धारा 10 (17 ए) में प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य निकाय द्वारा संस्थापित और इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित लोक हित में संस्थापित किसी पुरस्कार के अनुसरण में अथवा केन्द्र सरकार द्वारा या ऐसे प्रयोजन जिनका अनुमोदन लोक हित में इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा किया गया, किसी राज्य सरकार द्वारा इनाम के रूप में चाहे नगद या वस्तु के रूप में किये गये किसी भुगतान के रूप में हुई आय को आय कर से छूट होगी।

3.25.2 आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब प्रभागों में नमूना जाँच के दौरान खेल व्यक्तित्वों द्वारा प्राप्त किये गये पुरस्कारों के मामले जो उपर्युक्त श्रेणियों से संबंधित नहीं थे लेकिन कर दायरे में नहीं लाये गये थे, 10 मामलों में पाया गया था जिसमें कुल 87.87 लाख रुपये के कर का अनुद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था। एक मामला जिसमें 23.25 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को **परिशिष्ट 14** के **क्रम संख्या 12** पर दिया गया है।

3.26 अन्य अनियमितताएं

लेखापरीक्षा ने पारस्परिकता संकल्पना के अन्तर्गत आने वाले सदस्यों के क्लब के गैर-सदस्यों से आय के लिए अनियमित छूट, अनुबद्ध अवधि के अन्दर निर्धारिती को नोटिस न जारी करने के कारण राजस्व की हानि, पूँजीगत अभिलाभ की गलत संगणना, धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान करने में विलम्ब, अप्रकटित आय और अनिवार्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रस्तुत किये बिना प्रदान की गई छूट के संबंध में गलतियाँ मालूम हुईं। इनकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

3.27 पारस्परिकता संकल्पना के अन्तर्गत आने वाले सदस्यों के क्लब के गैर सदस्यों से आय को अनियमित छूट

3.27.1 अधिनियम के अन्तर्गत, धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थानों को कतिपय शर्तों के पूरा करने के अध्यक्षीन कर से छूट है। न्यायिक रूप से यह निर्णय* दिया गया कि सदस्यों के क्लब पारस्परिक वचनबद्धता के उदाहरण है और बेशी अर्थात् व्यय की तुलना में प्राप्तियों के आधिक्य को अधिनियम के प्रयोजन के लिए होने वाली आय नहीं कहा जा सकता। जहाँ एक क्लब गैर सदस्यों को सुविधाएँ प्रदान करता है वहाँ उस सीमा तक

* (226 आई टी आर 97 एस सी)

पारस्परिकता के तत्व की विद्यमानता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार, सदस्यों का क्लब गैर-सदस्यों को इसकी सुविधाएं प्रदान करने से व्युत्पन्न लाभों के संबंध में निर्धार्य है।

3.27.2 लेखापरीक्षा को गैर-सदस्यों को अपनी सुविधाओं को विस्तारित करने के रूप में सदस्यों के क्लब द्वारा व्युत्पन्न लाभों के मामलों की जानकारी हुई लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली प्रभागों में दो मामलों में सदस्यों के क्लब के संबंध में कर दायरे में नहीं लाया गया था जिसमें 2.26 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। एक मामले की चर्चा नीचे की गई है:

3.27.3 महाराष्ट्र, डी आई टी (छूट), मुंबई प्रभाग में, तीन खेल क्लबों के बारे में निर्धारण अधिकारी ने संवीक्षा निर्धारण* में पाया था कि क्लबों को पारस्परिकता संकल्पना के अन्तर्गत शामिल करने थे और गैर-सदस्यों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्ति जैसे लाभांश, ब्याज आदि पर कर लगाया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि धारा 11 के अन्तर्गत छूट (गैर-सदस्यों से आय को शामिल करते हुए) का दावा करते हुए निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2004-05 के लिए इन क्लबों की विवरणियों को दाखिल किया गया था और संक्षिप्त तरीके में स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप धारा 11 के अन्तर्गत अस्वीकार्य छूटों की अनुमति हुई। परिणामतः, 4.67 करोड़ रुपये की सीमा तक गैर-सदस्यों से आय को कम निर्धारित किया गया जिसमें 2.17 करोड़ रुपये का कर प्रभाव था। विभाग ने एम आई जी क्रिकेट क्लब के बारे में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 148 के अन्तर्गत 3 अक्टूबर 2006 को नोटिस जारी किया।

3.28 अनुबद्ध अवधि के अन्दर निर्धारिती को नोटिस जारी न करने के कारण राजस्व की हानि

3.28.1 जहाँ एक विवरणी को धारा 139 के अन्तर्गत या धारा 142(1) के अन्तर्गत जारी नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया गया वहाँ निर्धारण अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानता है कि निर्धारिती ने आय को कम नहीं बताया या अधिक हानि की संगणना नहीं की या किसी रीति में कर का कम भुगतान नहीं किया तो कोई साक्ष्य जिस पर विवरणी के सर्म्थन में निर्भर रह सकता है उसमें निर्दिष्ट तारीख को उसके कार्यालय में उपस्थित होने के लिए या उसे प्रस्तुत करने के लिए या वहाँ प्रस्तुत करवाने के लिए अपेक्षा करते हुए निर्धारिती को एक नोटिस भेजेगा बशर्ते कि कोई ऐसा नोटिस माह की समाप्ति से 12 माह की समाप्ति के पश्चात निर्धारिती को नहीं भेजा जायेगा जिसमें उसने विवरणी प्रस्तुत की है।

3.28.2 गुजरात, बडोदा III प्रभाग में, बडोदा क्रिकेट एसोसिएशन ने तब तक विवरणियों को दाखिल नहीं किया था जब तक निर्धारण अधिकारी निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1998-99 के लिए 30 मई 2001 को धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी नहीं किया। तदनुसार, निर्धारिती ने 27 जून 2001 को विवरणियाँ दाखिल की। इसके पश्चात्, धारा 142 (1) और 143 (2)

* निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए खार जिमखाना

के अन्तर्गत नोटिस सभी निर्धारण वर्षों के लिए 31 दिसम्बर 2002 को जारी किये गये थे। सभी निर्धारणों को निर्धारिती द्वारा दावा की गई छूट को अस्वीकार करते हुए और ब्याज और शास्ति सहित 2.01 करोड़ रुपये के कर का उद्ग्रहण करते हुए मार्च 2003 में अन्तिम रूप दिया गया था। निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई की पुष्टि अपील में की गई थी। तथापि, आई टी ए टी अहमदाबाद ने निर्धारिती द्वारा दावा किये गये के रूप में छूटों की अनुमति दी और सभी निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिसों को सभी निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी के दाखिल करने की तारीख से 12 माह के अन्दर निर्धारिती को नहीं भेजा गया था।

3.28.3 इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विभाग की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप धारा 244 ए के अन्तर्गत प्रदान किये गये प्रतिदाय पर ब्याज के अतिरिक्त भार सहित 2.15 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई। विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि आई टी ए टी का निर्णय इसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसलिए अप्रैल 2006 में गुजरात उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की।

3.29 पूँजीगत अभिलाभ की गलत संगणना

3.29.1 अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत जहाँ दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ दीर्घकालिक, पूँजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से उद्भूत होते हैं वहाँ इसकी संगणना (i) ऐसे अन्तरण के संबंध में किये गये व्यय (ii) परिसम्पत्ति के प्राप्ति की अभिसूचक लागत और बिक्री प्रतिफल के पूरे मूल्य से किसी सुधार की अभिसूचक लागत से कटौती करते हुए की जायेगी। इसके अतिरिक्त, अभिसूचकन का लाभ सरकार द्वारा जारी पूँजी अभिसूचक बाण्डों के अलावा बाण्ड या ऋण-पत्र होने की वजह से दीर्घकालिक पूँजीगत परिसम्पत्ति के मामले में अनुज्ञेय नहीं है।

3.29.2 पूँजीगत अभिलाभ की राशि को निर्दिष्ट बैंक में जमा किया जायेगा यदि यह एक वर्ष के अन्दर नई परिसम्पत्ति की खरीद के प्रति उस तारीख से पहले जिस पर मूल परिसम्पत्ति का अन्तरण हुआ, निर्धारिती द्वारा विनियोजित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती से उस राशि पर आय कर प्रभारित किया जाएगा यदि जमा की गई राशि का मूल परिसम्पत्ति के अन्तरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के अन्दर नई परिसम्पत्ति की खरीद या निर्माण के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

3.29.3 उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रभागों में दो मामलों में 31.95 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामला जिसमें 28.38 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 14 के क्रम संख्या 13 पर दिया गया है।

3.30 धारा 12 ए ए के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान करने में विलम्ब

3.30.1 धारा 12 ए ए (2) के अन्तर्गत, उप धारा (1) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान करने या मना करने के प्रत्येक आदेश को माह की समाप्ति से छः माह की समाप्ति से पहले पास किया जायेगा जिसमें आवेदन -पत्र धारा 12 ए के खण्ड (ए) के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था।

3.30.2 असम, चण्डीगढ़ और राजस्थान प्रभागों के तीन मामलों में, धारा 12 ए ए के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए अनुमोदन के प्रदान करने में विलम्ब पाया गया था। दो ऐसे मामलों को नीचे तालिका 11 में दिया गया है:

तालिका 11 : धारा 12 ए ए के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान करने में विलम्ब			
क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	धारा 12 ए के अन्तर्गत आवेदन पत्र की तारीख	अनुमोदन की तारीख
1	राजस्थान पोलो क्लब जयपुर II	8 जुलाई 2004	अभी तक लम्बित (जुलाई 2006)
2	खानापारा क्रीडा एण्ड सांस्कृतिक संगठन गुवाहाटी 2	26 अप्रैल 2002	12 जून 2003

3.31 अप्रकटित आय

3.31.1 अधिनियम की धारा 158 बी डी के अन्तर्गत, जहाँ निर्धारण अधिकारी सन्तुष्ट होता है कि कोई अप्रकटित आय, उस व्यक्ति को छोड़कर जिसके सम्बन्ध में तलाशी एवं जब्ती की गई थी किसी व्यक्ति से संबंधित है, तब जब्त किये गये दस्तावेजों को ऐसे अन्य व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपा जायेगा और वह निर्धारण अधिकारी ब्लाक निर्धारण के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का निर्धारण करेगा।

3.31.2 महाराष्ट्र, डी आई टी (ई) मुम्बई प्रभाग में, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए मुम्बई क्रिकेट एसोसिएशन (एम सी ए) के निर्धारण फोल्डर से यह पाया गया था कि मैसर्स टूडेज राइटिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कोलकाता ने 1.15 करोड़ रुपये के लिए एम सी ए के स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रैल 1999 में एम सी ए के साथ एक करार किया था। करार तीन कैलेन्डर वर्षों के लिए वैध था। पुनः यह पाया गया था कि कोलकाता के जाँच-पडताल स्कन्ध

ने 21 दिसम्बर 2000 को मैसर्स टूडेज राइटिंग प्रोडक्ट्स के परिसरों में तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया था।

3.31.3 तलाशी एवं जब्ती अभियान के दौरान, निर्धारण अधिकारी कोलकाता ने पाया कि मैसर्स टूडेज राइटिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने एम सी ए की स्पॉन्सरशिप के लिए 23.50 लाख रुपये का भुगतान किया था। तथापि, करार के पक्षकार अर्थात् मैसर्स टूडेज राइटिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और एम सी ए ने पहले वर्ष से आगे करार को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया था। तदनुसार निर्धारण अधिकारी (कोलकाता XX) ने 1.15 करोड़ रुपये के करार मूल्य और 23.50 लाख रुपये के भुगतान के मध्य अन्तर होने से 91.65 लाख रुपये का अधिकत्व किया। इसके परिणामस्वरूप, कोलकाता से निर्धारण अधिकारी ने मैसर्स टूडेज राइटिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के संबंध में दिनांक 31 जनवरी 2003 के ब्लाक निर्धारण आदेश की प्रतिलिपि और ब्लाक निर्धारण के अन्तर्गत एम सी ए के निर्धारण के लिए तलाशी एवं जब्ती अभियान के समय पर जब्त किये गए अबद्ध कागजों की प्रतियों सहित दिनांक 22 जून 2004 की एक रिपोर्ट एम सी ए के क्षेत्राधिकार वाले मुम्बई में निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया था।

3.31.4 नवम्बर 2004 में, निर्धारण अधिकारी मुम्बई ने यह बताते हुए किसी कार्रवाई को करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की कि निर्धारण वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के लिए एम सी ए की विवरणियों को संक्षिप्त रीति में स्वीकार किया गया था और अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही एम सी ए के प्रति लम्बित नहीं थी और इस प्रकार ब्यौरो/दस्तावेजों को धारा 131 या 133 (6) के अन्तर्गत एम सी ए से मंगाया नहीं जा सका। निर्धारण अधिकारी ने कतिपय अतिरिक्त दस्तावेजों को मंगाने का प्रस्ताव किया था। तथापि, ऐसा अतिरिक्त दस्तावेज निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं माँगा गया था जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया था। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी, मुम्बई को धारा 158 बी डी के प्रावधान को लागू करना चाहिए था।

3.31.5 आय के प्रकट न करने में शामिल राशि निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए 91.65 लाख रुपये थी जिसमें 64.34 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

3.32 निष्कर्ष और सिफारिशें

3.32.1 देश में 158 मामलों में खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों की आय छूटों को प्रदान करने के रूप में विभाग द्वारा कम निर्धारित की गयी थी यद्यपि, अधिनियम में यथाविहित कतिपय सांविधिक शर्त निर्धारितियों द्वारा पूरी नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 190.92 करोड़ रुपये का कर प्रभावित हुआ।

3.32.2 इस समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई 158 अनियमितताओं में से लगभग 47 प्रतिशत और 34 प्रतिशत क्रमशः विविध श्रेणी और क्रिकेट से संबंधित निर्धारणों से थीं। 190.92 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से लगभग 67 प्रतिशत और 32 प्रतिशत क्रमशः क्रिकेट और विविध श्रेणी से संबंधित निर्धारणों से थीं।

3.32.3 खेल व्यक्तित्वों के 9 मामलों में स्रोत पर कर की कटौती न करना पाया गया था।

3.32.4 ऐसे अनेक खेल संघों/संस्थान, खेल क्लब आदि हैं जिन्हें विभाग द्वारा कर दायरे के अन्तर्गत नहीं लाया गया है।

3.32.5 निवेश के वर्षवार ब्योंरों, अनुबद्ध अवधि के अन्दर विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इसके आहरण और उपयोग की जाँच करने के लिए, और यदि आय/ संचित आय को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए संघों/संस्थान को स्थापित किया गया था और उल्लंघनों के मामले में छूटों को रोकने की जांच करने हेतु विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर है।

3.32.6 खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों के संबंध में विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कमजोर पाई गई है क्योंकि निर्धारण में गलतियाँ, आय का छिपाव, पंजीकरण प्रदान करने में विलम्ब, विलम्ब के मामलों में शास्तियाँ न लगाने और आय कर विवरणियाँ प्रस्तुत न करने के मामले ध्यान में आये हैं।

3.32.7 लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को निवेश के वर्ष वार ब्योंरों, अनुबद्ध अवधि के अन्दर विशिष्ट प्रयोजन के लिए इसके उपयोग की जाँच करने के लिए और यदि आय/संचित आय को विशिष्ट उद्देश्यों जिसके लिए संघ/संस्थान को स्थापित किया गया था के लिए उपयोग किया गया है की जाँच करने के लिए सुदृढ़ किया जाए।

समापन सम्मेलन में बोर्ड ने रजिस्टर के अनुरक्षण के लिए विद्यमान अनुदेशों की पुरावृत्ति करते हुए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को एक परिपत्र जारी करना स्वीकार किया।

3.32.8 लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि सरकार खेल संघों/संस्थानों/क्लबों और खेल व्यक्तित्वों को दी गई छूटों के दुरुपयोग को कम करने के लिए संभाव्य मामलों पर संकेन्द्रित करने के लिए अपने ए एस टी डाटाबेस का उपयोग करने पर विचार कर सकता है।

समापन सम्मेलन में बोर्ड ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार किया।

3.32.9 लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि सरकार किये गये निर्धारणों में अनियमितताओं और गलतियों, कर अपवंचन और छूटों के दुरुपयोग के परिहार के लिए अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ कर सकती है।

समापन सम्मेलन में बोर्ड ने सिफारिश को स्वीकार किया और बताया कि विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का नवीनीकरण पहले ही प्रगति में था।

नई दिल्ली
दिनांक

(सुधा कृष्णन)
प्रधान निदेशक प्राप्ति लेखापरीक्षा
(प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक